

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़**  
 (प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)  
 पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 41 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 167

कृष्णलाल, मैन मार्केट, नई मण्डी घड़साना

बनाम

उपखण्ड अधिकारी घड़साना

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 05.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने हेतु निर्देशित किये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने अपने पत्रांक/पीए/2024/1769 दिनांक 10.10.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी कृष्णलाल का ऑनलाईन आवेदन कार्यालय के पत्रांक 1719 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा तहसीलदार राजस्व घड़साना को भिजवाते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत उक्त छायाप्रति पत्र का अवलोकन किया जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार घड़साना को हस्तांतरित कर आवेदन को सूचना प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार घड़साना से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार घड़साना द्वारा अपने पत्रांक/सू.का.अ./2024/1959 दिनांक 05.11.24 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके द्वारा कार्यालय के पत्रांक/विविध/सू.का.अ./2024/1887 दिनांक 22.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को चाही गयी सूचना प्रेषित की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार घड़साना के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत छायाप्रति पत्र जिसके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया है का अवलोकन किया। अपीलार्थी को सूचना दिनांक 22.10.2024 को प्रेषित की गयी है। जबकि अपीलार्थी द्वारा अपील ऑनलाईन दिनांक 07.09.2024 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी प्रकरण में उपस्थित भी नहीं आए हैं। चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में प्रतिउत्तर प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी घड़साना एवं तहसीलदार घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को निश्चित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)  
**जिला कलक्टर ए.एस.**  
**अनूपगढ़**  
 कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
 अनूपगढ़